निर्गत करें।
आई.टी. मैनेजर ई.मेल

(1)

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (Apprentice Act 1961) के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के कार्यरत अभियंत्रण महाविद्यालयों/पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रतिवर्ष 176 डिग्री एवं 184 डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में क्रमशः रू० 15000/–(पन्द्रह हजार रुपये) मात्र एवं रू० 10000/– (दस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण देने की स्वीकृति के संबंध में।

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (Apprentice Act 1961) में निहित प्रावधानो के आलोक में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभियंत्रण महाविद्यालयों/पोलिटेकनिक संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को नियत छात्रवृति देकर एक वर्ष के लिए डिग्री एवं डिप्लोमा प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है।

2. उक्त प्रशिक्षण व्यवस्था से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत कार्यरत विभिन्न राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कर्मशाला एवं प्रयोगशाला के संचालन में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से उत्तीर्ण डिग्री तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं के गुणवत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि के साथ–साथ रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में सहायक हो सकेगें।

3. उक्त संख्या में छात्रों को अप्रेन्टिस प्रशिक्षण देने हेतु डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्र जो NATS के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत हों, उन्हें Online चयनित कर एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का भी पालन किया जाएगा।

4. प्रशिक्षु अधिनियम 1992 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रति माह छात्रवृति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रू० 4984/– एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रू० 3542/– प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतेय किये जाने वाली उक्त स्टाईपेंड की राशि का 50% राशि की प्रतिपूर्ति व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा किया जायेगा।

5. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के कुल स्वीकृत बल 1769 में से प्रशिक्षु अधिनियम के तहत अधिकतम (स्वीकृत बल का 10%) कुल 176 छात्रों को डिग्री प्रशिक्षु तथा अनुदेशक, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला सहायक, ग्राफिक्स सहायक, प्रोग्रामर, कर्मशाला/फोरमैन, कर्मशाला अधीक्षक, विद्युत आपूर्ति अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, तकनीकी सहायक एवं सिस्टम एनालिस्ट के कुल स्वीकृत बल 1848 में से (स्वीकृत बल का 10%) कुल 184 छात्रों को डिप्लोमा प्रशिक्षु का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

6. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 तथा प्रशिक्षु नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित स्टाईपेंड की राशि काफी कम रहने के कारण उक्त प्रशिक्षु अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की राशि डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए रू० 4984/– प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु के लिए रू० 3542/– प्रतिमाह को बढ़ाकर क्रमशः रू० 15000/– (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह एवं रू० 10000/– (दस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह भुगतान किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

Scanned by CamScanner

7. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने, प्रशिक्षु अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में एक वर्षीय अप्रैंटिस ट्रेनिंग के लिए अनुबंधित डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को प्रशिक्षण अवधि में डिग्रीधारी प्रशिक्षु को रू॰ 15,000=00 (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को रू॰ 10,000=00 (दस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से स्टाईपेन्ड के भुगतान करने का, निर्णय लिया है।

8. राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को शत–प्रतिशत भुगतान की जानेवाली राशि का व्यय, माँग संख्या–43 के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–003– प्रशिक्षण उपशीर्ष–0101–शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम" (विपत्र कोड 43–2203000030101) के अधीन 3401 छात्रवृत्ति/ वजीफा विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा उपरोक्त कंडिका 4 में प्रावधानित राशि के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाने वाली 50 प्रतिशत(50%) राशि (न्यूनतम निर्धारित राशि का) राज्य सरकार के राजकोष में "मुख्यशीर्ष –0202–शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति, उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–101–शिक्षण और अन्य शुल्क, उपशीर्ष–0003–शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम" (विपत्र कोड R 0202021010003) के अन्तर्गत 0031 अन्य प्राप्तियाँ विषयशीर्ष में जमा की जाएगी।

10. यह संकल्प राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 18.02.2019 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या 08 पर लिये गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8/3/19

(सुशांत झा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II) प्रशिक्षण–01/17(पार्ट–2) 876 /पटना, दिनांकः– 8.3.2019

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से) हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8/3/19

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II) प्रशिक्षण–01/17(पार्ट–2) 876 /पटना, दिनांकः– 8.3.2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II) प्रशिक्षण–01/17(पार्ट–2) 876 /पटना, दिनांकः– 8-3-2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मंत्रिपरिषद की दिनांक 18.02.2019 में मद सं०–08 के रूप में सम्मिलित संलेख की स्वीकृति के अनुपालन में)/सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), ब्लॉक–ई०ए०, सेक्टर–1 (लावोनी संपदा के विपरीत), साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता– 700064 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19

सरकार के विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक– वि०प्रा०(II) प्रशिक्षण–01/17(पार्ट–2) 876 /पटना, दिनांकः– 8/3/2019

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा परिषद/परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19

सरकार के विशेष सचिव

Scanned by CamScanner